अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2016	19/5/2016	26/07/2023

उनवान

1. भॅवरलाल पुत्र भीमडा जातियान मीणा निवासीगण दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. राधेश्याम पुत्र भीमडा जातियान मीणा निवासीगण दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. रामेश्वर पुत्र भीमडा जातियान मीणा निवासीगण दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादीगण

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र भीमडा जाति मीणा निवास दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. रामदयाल पुत्र गोपाल
3. हेमराज पुत्र गोपाल
4. चन्द्रभाण पुत्र गोपाल जातियान मीणा निवासीगण कजलिया तह0 पीपल्दा
5. कमलेशबाई पुत्री गोपाल पत्नि रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मरझाना तह0 पीपल्दा
6. गोरधनीबाई पुत्री गोपाल पत्नि केदारलाल जाति मीणा निवासी कडीला खेडली तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. जगन्नाथी पत्नि स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी कजलिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा
8. मोडूलाल पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

9. किसकिन्धा पुत्र भैरू पत्नि वायूलाल जाति मीणा निवासी चाणदाकला तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

10. मोडी पुत्री भैरू पत्नि भागचंद जाति मीणा निवासी मरझाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा

11. संतोष बाई पुत्री भैरू पत्नि प्रहलाद जाति मीणा निवासी विजावता तह0 पीपल्दा

12. तारा बाई पुत्री भैरू पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा

13. द्वारक्या बाई पत्नि स्व0 भैरू जाति मीणा निवासी दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा

14. उप पंजीयक महोदय,तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री महावीर मित्तल–अधिवक्ता वादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,90ए,188 आर0 टी0 एक्ट0 बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

सक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व. देवा के वंशज है स्व. देवा के दो पुत्र नारायण व रूग्धा थे तथा नारायण के तीन पुत्र क्रमशः भीमडा,भैरूलाल व मोहन थे, जिसमें से मोहन नाऔलाद फौत हो चुका है तथा स्व. रूग्धा के एक पुत्र गोपाल था, जो आज से लगभग 65–70 साल पहले अपने मामा के यहां ग्राम कजलिया में गोद पुत्र के रूप में चला गया था,तब से गोपाल के हिस्से की आराजी पर वादीगण के पिता भीमडा व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण लगातार बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त है जिसका कर्ता पिलाई 60–70 वर्षो से वादीगण की अदा करते आ रहे है। ग्राम दूधली की खसरा न0 281

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

रकबा 1.39 हैक्टर खसरा न0 285 रकवा 0.98 हैक्टर खसरा न0 287 रकवा 1.20 है0 को आगे वाद पत्र में विवादित आराजी कहा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार से है।

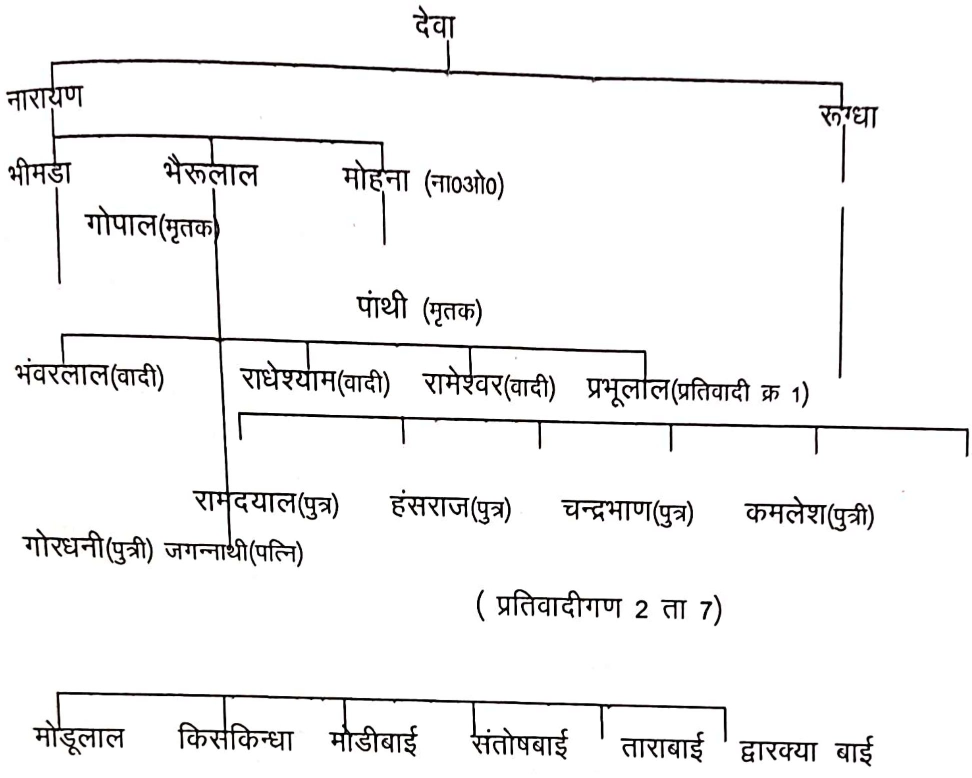

यह कि विवादग्रस्त आराजी में जमाबंदी सवत् 2041 से 2060 में गोपाल का 1/3 हिस्सा दर्ज था,गोपाल ने अपने हिस्से की आराजी को जरियें रजिस्ट्रर्ड रिलीज डीड के वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भीमडा के पक्ष में हकत्याग कर दिया भीमडा का उपरोक्त आराजी में 2/9 हिस्सा था,इस प्रकार गोपाल द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग करने के बाद भीमडा 5/9 हिस्से के खातेदार हो गये और एक सहखातेदार पॉथी, जो वादीगण की काकी थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से की आराजी 2/9 में से आधी 1/2 हिस्से की आराजी वादीगण के पिता के खाते में समायेजित हो गयी और वादीगण के पिता भीमडा का उपरोक्त विवादित आराजी में 12/18 अर्थात् 2/3 हिस्सा है और प्रतिवादीगण 8 ता 12 का 1/3 हिस्सा है।

सहायक कलैक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

लेकिन राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा भी गलत दर्ज कर दिया गया इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजी में 2/3 हिस्से के खातेदार थे और है और वादीगण इसी अनुरूप विवादित आराजी पर बिना किसी बाधा के काश्त करते हुये तथा विवादित आराजी का उपयोग एवं उपभोग करते हुये चले आ रहे हैं।

यह कि प्रतिवादीगण 2 ता 7 के पिता व पति ने अपनी स्वेच्छा व राजी खुशी से अपने हिस्से व खाते की 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का हक त्याग अपने भाई व वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता स्व.भीमडा के पक्ष में कर दिया था,तथा तब हक त्याग पत्र दिनांक 04.08.1989 को रजिस्ट्रर्ड करवाते समय गोपाल ने लिखा था कि हक त्याग पत्र में वर्णित गोपाल के हिस्से की आराजी पर गत 40 वर्षो से वादीगण के पिता भीमडा ही काबिज काश्त है तथा गोपाल पुत्र रूग्धा के द्वारा विवादित आराजी में से अपने सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग कर देने से दिनांक 04.08.1989 से ही उसके समस्त खातेदारी आधिकार समाप्त हो गये थे, तथा गोपाल के हिस्से की आराजी पर समस्त खातेदारी आधिकार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भीमडा के पक्ष में हमेशा के लिए मुन्तकिल कर दिये थे, और भीमडा की मृत्यु के बाद समस्त अधिकार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को प्राप्त हो गये तथा गोपाल को वादीगण के दादा ने ग्राम कजलिया में 15 बीघा भूमि खाते बंधवा दी थी तथा गोपाल बचपन से ही ग्राम कजलिया में निवास कर रहा है। ग्राम दूधली की विवादित आराजी पर गोपाल के वारिसों का कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही कभी कब्जा काश्त रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण 2 ता 7 के पिता व पति गोपाल द्वारा विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग पत्र दिनांक 04.08.1989 को उपपंजीयक कार्यालय पीपल्दा में रजिस्ट्रर्ड करके वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भीमडा वल्द नारायण के पक्ष में हक त्याग कर दिया था,उसके बाद राजस्व रिकार्ड से गोपाल का नाम हटा दिया गया था, जो राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी सवत् 2050 से 2053 से लगातार जमाबंदी सवत् 2066 से 2069 से स्पष्ट है लेकिन वर्तमान जमाबंदी सवत् 2070 से 2073 में शुद्वि पत्र संख्या 1 दिनांक 15.12.2015 को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के व सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गोपाल के वारिसों का नाम 1/3 हिस्से पर गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

जिसमें प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है उक्त कार्यवाही फिसीकल है।

यह कि दिनांक 04.08.1989 को गोपाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग करने बाद जमाबंदी सवत् 2050 से 2053 में गोपाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हट जाने से वादीगण कम पढे लिखे होने के कारण यह समझे कि गोपाल का नाम खाते में से हक त्याग पत्र के द्वारा विधिवत रूप से हटा दिया गया है। लेकिन जब वादीगण ने दिनांक 27.04.2016 को शुद्विपत्र की नकल प्राप्त की तो जानकारी मिली कि इंतकाल संख्या 41 दिनांक 10.06.1992 को राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी कारण के वादीगण को साम्पतिक अधिकारों का नुकसान कारित करने के उदेश्य से वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र का नामान्तकरण खारिज कर दिया जिसकी कोई जानकारी आज दिन तक वादीगण कों हासिल नही हुई है क्योंकि 2066–2069 तक की जमाबंदी में प्रतिवादीगण 2 ता 7 के पिता व पति का नाम दर्ज नहीं था। राजस्व अधिकारियों ने प्रतिवादीगण से मिली–भगत कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नामान्तकरण संख्या 369 दिनांक 21.12.2015 से गलत अवैध व त्रुटि पूर्ण अंकन करते हुये मृतक गोपाल के स्थान पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादीगण 2 ता 7 का नाम दर्ज कर दिया नामान्तरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही होती है, जिसमें से प्रतिवादीगण 2 ता 7 को काई अधिकार प्राप्त नही होते है और उपरोक्त कार्यवाही वादीगण के हितों के मुकाबले बेअसर व शून्य है वादीगण के यह कानूनी अधिकार हासिल है कि राजस्व रिकार्ड में हुये गलत अंकन को न्यायालय श्रीमान की सहायता से दुरूस्त करावे, और प्रतिवादीगण 2 ता 7 का नाम जो राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से दर्ज किया गया है उसे खाते से खारिज किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 2/3 हिस्से की घोषणा करावे तथा विवादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने से रोके इस कारण यह वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

यह कि वाद कारण दिनांक 13.05.2016 को प्रतिवादीक्रम 2 ता 7 विवादग्रस्त आराजी पर आये और वादीगण को धमकी देने लगे कि हमने हमारा नाम विवादित आराजी पर दर्ज करवा लिया है अब हम वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर कब्जा करेगें और वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान, दान करेगें और हमने इस बाबत् कई लोगो से बात भी कर ली है तथा अंत में वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तदुपरान्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे इसलिये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी इस कारण पत्रावली में विवाधक कायम न किये जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गयी वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पी0 डब्लु0 1 वादी भंवरलाल पी0 डब्लु 2 बाबूलाल पी0 डब्लु 3 महेन्द्र कुमार के बयान पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया वादीगण ने वाद के समर्थन में नकल सेटलमेंन्ट जमाबंदी ग्राम दूधली सवत् 2041–2060 पेश की जो प्रदर्श 1 है, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो प्रदर्श 2 है, नकल हक त्याग पत्र पेश किया जो प्रदर्श 3ए है, नकल इन्तकाल नम्बर 41 पेश की जो प्रदर्श 4 है इन्तकाल नम्बर 43 पेश की जो प्रदर्श 5 है, नकल जमाबंदी ग्राम दूधली सवत् 2050 से 2053 प्रदर्श 6 है, नकल जमाबंदी सवत् 2058 से 2061 प्रदर्श 7 है, नकल जमाबंदी सवत् 2062 से 2065 प्रदर्श 8 है, नकल जमाबंदी सवत् 2066 से 2069 प्रदर्श 9 है, नकल शुद्वि पत्र प्रदर्श 10 है, नकल इन्तकाल न0 369 प्रदर्श 11 है, नकल जमाबंदी 2070 से 2073 प्रदर्श 12 हैं, नकल,नक्शीट्रेस प्रदर्श 13 है, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 14 है, नकल जमाबंदी 2070 से 2073 ग्राम कजलिया प्रदर्श 15 है, नकल जमाबंदी 2070 से 2073 ग्राम कजलिया प्रदर्श 16 है, जो शामिल पत्रावली किये गये वकील वादीगण की बहस सुनी गयी वकील वादीगण के उजरात सही प्रतीत होते हैं वादीगण अपना दावा कानूनन साबित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। दौराने बहस वकील वादीगण ने जाहिर किया की वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 की माता सुखी पत्नि स्व0 भीमडा की मृत्यु हो चुकी है और मृतक सुखी के वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 विधिक वारिस है इस कारण सुखी पत्नि स्व0 भीमडा जाति मीणा निवासी दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 के पक्ष में समायोजित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 को 2/3 हिस्से का खातेदार धोषित किया जाता है। यदि दौराने वाद प्रतिवादीक्रम 2 ता 7 के द्वारा अपने गलत नाम के इन्द्राज के आधार पर उपरोक्त आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान कर दिया हो तो ऐसे अन्तरण को वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 के हितो के मुकाबले बेअसर व शून्य घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

क्रियात्मक आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खाता संख्या 70 की खसरा न0 281 रकबा 1.39 है0,ख0 न0 282 रकबा 0.98 है0,ख0 न0 285 रकबा 1.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 हैक्टर कृषि आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 का नाम खाते से हटाया जावें तथा सुखी पत्नि स्व0 भीमडा जाति मीणा निवासी दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 का नाम खाते से खारिज किया जाकर उसके हिस्से को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में समायोजित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 को संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद किया जावे। पृथक से डिक्री जारी की जावे।

आदेश आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2016	19/5/2016	26/07/2023

उनवान

1. भॅवरलाल पुत्र भीमडा जातियान मीणा निवासीगण दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. राधेश्याम पुत्र भीमडा जातियान मीणा निवासीगण दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. रामेश्वर पुत्र भीमडा जातियान मीणा निवासीगण दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादीगण

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र भीमडा जाति मीणा निवास दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. रामदयाल पुत्र गोपाल
3. हेमराज पुत्र गोपाल
4. चन्द्रभाण पुत्र गोपाल जातियान मीणा निवासीगण कजलिया तह0 पीपल्दा
5. कमलेशबाई पुत्री गोपाल पत्नि रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मरझाना तह0 पीपल्दा
6. गोरधनीबाई पुत्री गोपाल पत्नि केदारलाल जाति मीणा निवासी कडीला खेडली तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. जगन्नाथी पत्नि स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी कजलिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा
8. मोडूलाल पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

9. किसकिन्धा पुत्र भैरू पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी चाणदाकला तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

10. मोडी पुत्री भैरू पत्नि भागचंद जाति मीणा निवासी मरझाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा

11. संतोष बाई पुत्री भैरू पत्नि प्रहलाद जाति मीणा निवासी बिजावता तह0 पीपल्दा

12. तारा बाई पुत्री भैरू पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा

13. द्वारक्या बाई पत्नि स्व0 भैरू जाति मीणा निवासी दूधली तह0 पीपल्दा जिला कोटा

14. उप पंजीयक महोदय,तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

2. श्री महावीर मित्तल–अधिवक्ता वादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,90ए,188 आर0 टी0 एक्ट0 बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री **महावीर मित्तल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उक्त विवेचन के आधार पर वाद** अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खाता संख्या 70 की खसरा न0 281 रकबा 1.39 है0,ख0 न0 282 रकबा 0.98 है0,ख0 न0 285 रकबा 1.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 हैक्टर कृषि आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 का नाम खाते से हटाया जावें तथा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट